प्रेषक, ई–मेल

सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक महोदय,
माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

पत्रांक 124 /जि0उप0आ0पि0/सू0अ0–05/2024–25/दिनांक, मई, 26, 2025

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–04(1) (ख) के अन्तर्गत 17 मैनुअलों को प्रेषित् किये जाने के सम्बन्ध ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–445/रा0 आ0 उ0 सं0/दिनांकित 14–09–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय, पिथौरागढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–04(1) (ख) के अन्तर्गत 17 मैनुअलों की वित्तीय वर्ष 2024–2025 की वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित् की जा रही है ।

संलग्न प्रपत्र– उपरोक्तानुसार । सादर।

भवदीय,
26/05/2025
(रबिन्द्र सिहं)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के लागू होने के दिनांक से प्रत्येक लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धान के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उससे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए निर्मित अधिनियम की सफलता हेतु जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने के लिए इस हस्तपुस्तिका की मुख्य भूमिका है।

उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की संक्षिप्त विचारण द्वारा उपभोक्ता न्याय के वैकल्पिक प्रणाली के लिए प्राविधान करना है। इस पुस्तिका द्वारा उक्त सभी तथ्यों को सरल रूप से सूचनार्थ प्रकाशित कर उपलब्ध करायी गयी हैं।

1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य–

इस हस्तपुस्तिका का प्रकाशन लोक हित में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना देने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि सभी लोक को सरल रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संगठन की विशिष्टियॉ,कृत्य और कर्तव्य,लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा धारित अथवा प्रयोग किये जाने वाले नियम,विनियम,अनुदेश एवं निर्देशिकाओं ,नीति बनाने या कार्यान्वयन आदि के सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन है के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारी के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ तथा उनके द्वारा निर्णय करने की प्रक्रिया तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व से सम्बन्धित समस्त सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

1.3 यह हस्तपुस्तिका निम्न व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों इत्यादि के लिये उपयोगी है–

यह हस्तपुस्तिका भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों, जनपद में स्थित समस्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थानों संगठनों व अन्य सभी जरूरतमंदों के लिये सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता आयोग पिथौरागढ के कार्यालय से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोगी है।

1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप–

संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में सूचनात्मक है।

1.5 परिभाषायें–

1– सूचना अधिकार अधिनियम–2005 से सम्बन्धित–

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू –कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1)और उपधारा (2),धारा 12 2,धारा 13, धारा 15धारा 16, धारा 27 और धारा 28 के उपबन्ध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन में प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषायें –इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) समुचित सरकार से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो

1. केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन ,नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है ,केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है,

2. राज्य सरकार द्वारा स्थापित ,गठित उसके स्वामित्वाधीन ,नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है ,राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(ख) केन्द्रीय लोक सूचना आयोग से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है ,

(च) सूचना से किसी इलेक्ट्रानिक रूप मे धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल,सलाह,प्रेसविज्ञप्ति परिपत्र,आदेश,लागबुक,संविदा,रिर्पोट,कागजपत्र,नमूने

माडल ,ऑकडों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित ,जिस तक सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुॅच हो सकती है ,किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है,

2– उपभोक्ता संरक्षरण अधिनियम से सम्बन्धित–

(क) ''अधिनियम'' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है ।

(ख) ''उपभोक्ता आयोग ''से कोई जिला आयोग, धारा 2 (क) के अधीन किसी राज्य में स्थापित कोई उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात राज्य आयोग कहा गया है) या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है ,

(ग) ''रजिस्ट्रार'' से उपभोक्ता आयोग के अनुसचिवीय स्थापन का अध्यक्ष अभिप्रेत है, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य करता है जो उसे उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त किए जाते हों,

(घ) ''नियमों '' से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है,

(ड.) ''विरोधी पक्षकार ''से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिवाद या दावे को उत्तर देता है

(च) ''धारा '' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ,

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और इसमें कहीं परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु या तो अधिनियम या नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति , अधिनियम या नियमों में क्रमशः उनके हैं।

1.6 हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के संम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये सम्पर्क व्यक्ति–

1.लोक सूचना अधिकारी/सदस्य, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पिथौरागढ।

2.सहायक लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पिथौरागढ।

फोन नं0 05964–223387 ई मेल नं0 –confo-pi-ut@nic.in

3– हस्त पुस्तिका में समाहित विषयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना लोक सूचना

तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक, कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पिथौरागढ से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अतिरिक्त यदि किसी अन्य प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय, पिथौरागढ से प्राप्त की जा सकती है। यदि नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहता है उसे अधिनियम की धारा–6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत उसे हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा इसके लिए निर्धारित किया गया शुल्क भी अधिनियम की धारा– 7 (5) में किये गये प्रावधान के अधीन भुगतान करना होगा। निर्धारित शुल्क एवं आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्धारित व्यवस्थानुसार सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी।

यदि नागरिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लम्बित वादों से सम्बन्धित किसी अभिलेख या अन्य प्रकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि की वॉछना करता है तो उसे इस अधिनियम में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत निमयानुसार निर्धातिर शुल्क सहित आवेदन करने पर ही प्रतिलिपि दी जा सकेगी।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

अध्याय–2(मैनुअल–1)
संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2–1– लोक प्राधिकरण के उद्धेश्य– इस अधिनियम का उद्धेश्य उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण एवं उपभोक्ता विवादों के शीघ्र निस्तारण करना है।

2–2– लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन–उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना।

2–3– लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और असके गठन का प्रसंग– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 के सभी उपबन्ध दिनांक 15–07–2020 से लागू हुआ।

2–4– लोक प्राधिकरण के कर्तव्य–न्यायिक संरक्षण प्रदान करना।

2–5– लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य–उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण करना।

2–6– लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण– उपभोक्ताओं की षिकायतों का निस्तारण करना, क्षतिपूर्ति दिलाना आदि।

2–7– लोक प्राधिकरण के विभन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो)–जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग, एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ।

2–8– लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं–

2–9– जन सहयोग सुनिष्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था–

2–10– जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार उपभोक्ता वादों/शिकायतों का निस्तारण ।

2–11– मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालय के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें–जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शारदा कालौनी, पौंण रोड, पो0 डिग्रीकालेज, जिला पिथौरागढ़ ।

2–12– कार्यालय के खुलने का समय– सुबह 10 बजे ।

कार्यालय के बन्द होने का समय–सांय 05 बजे ।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

अध्याय–03(मैनुअल–2)

:: अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तब्य ::

3–1– कृपया निम्न प्रारूप पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्तव्य का विवरण उपलब्ध करायें।

शक्तियॉ	प्रशासकीय	1–अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण । 2–कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन कार्य । 3–कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन का कार्य । 4–उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं माननीय राज्य आयोग,मा0 राष्ट्रीय आयोग,मा0 उच्चतम न्यायालय एवं शासन के निर्देशों का अनुपालन कराना ।
	वित्तीय	1–जिला उपभोक्ता आयोग से सम्बन्धित समस्त आहरण एवं वितरण का अधिकार। 2–कार्यालय व्यय सम्बन्धित कार्य। 3–जिला उपभोक्ता आयोग से सम्बन्धित वेतन, मानदेय, यात्रा भत्ता आदि का आहरणएवं वितरण से सम्बन्धित कार्य। 4–परिवादों में प्राप्त वाद शुल्क, दस्तावेज शुल्क एवं नकल शुल्क को शासकीय मद में जमा करवाना ।
	अन्य	जिला उपभोक्ता आयोग में प्राप्त वादों का निस्तारण करना एवं अनुपालन सुनिश्चित करवाना, तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार करवाना।
	कर्तव्य	माननीय राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना एवं वादकारियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिये गये मापदण्डों / नियमों के आधार पर न्याय दिलाना।

अध्यक्ष,सदस्यों एवं कर्मचारियों के कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना संलग्न हैं।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

जिला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पिथौरागढ़ का संगठनात्मक ढॉचा ।

क्र0सं0	विभाग का नाम	सदस्य / कर्मचारी नाम पदनाम	कर्तव्य सम्पादित किये जाने वाले कार्य
1—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्री राजीव कुमार खरे, अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता आयोग में प्राप्त वादों में निर्णय एवं आदेश पारित करना,आहरण वितरण कार्य,कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन का कार्य एवं प्रशासनिक नियन्त्रण आदि।
2—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्रीमती डिगरी बाफिला, (दि0 11—08—2024 तक	जिला उपभोक्ता आयोग में प्राप्त वादों में निर्णय एवं आदेश पारित करने में अपना अभिमत व्यक्त करना ।
3—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्री रबिन्द्र सिह, पुरूष सदस्य	जिला उपभोक्ता आयोग में प्राप्त वादों में निर्णय एवं आदेश पारित करने में अपना अभिमत व्यक्त करना ।
4—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्रीमती निर्मला पन्त, प्रधान सहायक	अपने विभाग के कार्यो की देख—रेख, पेशी से सम्बन्धित पत्राचार तैयार करना, जो दावे पेश हो उन पर अपनी रिपोर्ट के साथ जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना एवं जो भी प्रशासनिक कार्य हो उसकी देख—रेख करना, सेवा पुस्तिका का रख—रखाव एवं विवरण आदि तैयार करवाना ।
5—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्री प्रकाश चन्द्र जुकरिया, वैयक्तिक अधिकारी	जिला उपभोक्ता आयोग में किये जाने वाले आशुलेखन से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
6—	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।	श्री देवेन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक ।	जिला उपभोक्ता आयोग से सम्बन्धित रजिस्टरों का रख—रखाव एवं उनमें नियमित प्रविष्टि, दावे दर्ज करना, नकलें तैयार करना, सम्मन एवं नोटिस का प्रेषण, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक विवरण तैयार करना, वेतन, मानदेय, कार्यालय व्यय, लेखन, जी0पी0एफ0लेजर, आदि सम्बन्धी कार्य एवं डाक का प्रेषण आदि तथा वादों, नकलों एवं दस्तावेजों से प्राप्त शुल्क को शासकीय मद में जमा करना ।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

अध्याय–4 (मैनुअल–3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

4–1 लोक प्राधिकरण / संगठन अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करायें (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम– वादों / कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख।

अभिलेख का प्रकार– वादों / कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– उपभोक्ता वादों / कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख।
अभिलेख की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं?

पता– जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय, शारदा कालौनी, पौंण रोड, पो0 डिग्री कालेज, जिला पिथौरागढ़।

दूरभाष संख्या– 05964–223387
ई–मेल–confo-pi-ut@nic.in

अन्य–
अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का– उपभोक्ता वादों में नकल / दस्तावजों हेतु उपभोक्ता
शुल्क (यदि कोई हो) संरक्षण विनियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क एवं कार्यालय अभिलेख हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अनुसार देय शुल्क।

4–1 लोक प्राधिकरण / संगठन अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत कराएं (यह सूचना प्रत्येक अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें)

अभिलेख का नाम– विनियम

अभिलेख का प्रकार– विनियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय– उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019
विनियम की प्रति कहॉ से प्राप्त कर सकते हैं।

पता– जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय, शारदा कालौनी, पौंण रोड, पो0 डिग्री कालेज, जिला पिथौरागढ़ ।

दूरभाष संख्या– 05964–223387

ई–मेल– confo-pi-ut@nic.in
विनियम की प्रति को प्राप्त करने– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अनुसार

अध्याय–6(मैनुअल–5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों(categoriè) के अनुसार विवरण।

6–1– लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बतायें की यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि सचिव स्तर पर, निदेशालय स्तर पर, अन्य (कृपया अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें:–

क0सं0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रकिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1–	उपभोक्ता वादों से सम्बन्धित दस्तावेज / कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेख / दस्तावेज	उपभोक्ता वादों से सम्बन्धित नकल, दस्तावेज / कार्यालय अभिलेख / दस्तावेज	नकल,दस्तावेजों हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित शुल्क / कार्यालय अभिलेख / दस्तावेजों हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार शुल्क अदा करने पर।	लोकसूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ ।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

अध्याय–8(मैनुअल–7)

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय, पिथौरागढ़ में लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ।

(The name designations and other particulars of the public information officers)

लोक प्राधिकरण का नामः– जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कार्यालय, पिथौरागढ़।

सहायक लोक सूचना अधिकारी– प्रधान सहायक, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़।

क0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0कोड	दूरभाष		ई0मेल	कार्यालय का पता
				कार्यालय	आवास		
1–	श्रीमती निर्मला पन्त	प्रधान सहायक	05964	223387	9412925840	confo-pi-ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।

लोक सूचना अधिकारी–सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़।

क0 स0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0कोड	दूरभाष		ई0मेल	कार्यालय का पता
				कार्यालय	आवास		
1–	श्री रबिन्द्र सिंह, सदस्य	सदस्य	05964	223387	9810824165	confo-pi- ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ ।

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी– मा0 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़।

क0 स0	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0कोड	दूरभाष		ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास		
1–	श्री राजीव कुमार खरे	अध्यक्ष	05964	223387	9827590823	confo-pi- ut@nic.in	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

अध्याय–9(मैनुअल–8)
निर्णय लेने की प्रकिया

9–1– किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रकिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुअल और विजीनस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जाता है):–

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 में निहित प्रावधानों एवं नियमों तथा शासनादेशानुसार निर्णय लिया जाता है।

9–2– किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रकिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है?:–

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 में निर्धारित प्रावधानों, नियमों, एवं उपभोक्ता वादों/ पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पक्षकारों की बहस के आधार एवं शासनादेशानुसार निर्णय लिया जाता है।

9–3– लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने के लिये क्या व्यवस्था है?:–

ई–जागृति पोर्टल पर निर्णय उपलब्ध कराये जाते हैं ।

9–4– विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है–जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

9–5– अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी–जिला स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यगण।

9–6– मुख्य विषय जिस परलोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें:–

क0स0	विवरण
विषय(जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	उपभोक्ता वाद
दिशा–निर्देष (यदि हो तो)	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 में निहित प्रावधानों एवं निर्धारित नियमों के आधार पर।
निर्णय लेने की प्रकिया	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 में निहित प्रावधानों एवं निर्धारित नियमों एवं उपभोक्ता वादों/ पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पक्षकारों की बहस के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	आपसी विचारविमर्श द्वारा।
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	अध्यक्ष एवं सदस्यगण।
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें	जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश/निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून उत्तराखण्ड में अपील की जा सकती है।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पि0गैगढ़ ।

:: अध्याय–10 (मैनुअल–9)
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
2024–2025

10–1 कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दें:–

क0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड सं0	दूरभाष संख्या		पता
				आवास	कार्यालय	
01–	श्री राजीव कुमार खरे	अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)	05964	9756112403	223387	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष प्रतितोष आयोग, उधमसिंह / पिथौरागढ़
02–	श्रीमती डिगरी बाफिला, (दि0 11–08–2024 तक)	महिला सदस्या,	05964	9756112403	223387	निकट नगर पालिका, पो0, थाना, तह0 व जिला पिथौरागढ़
03–	श्री रबिन्द्र सिंह, (दि0 25–10–2024 से)	पुरूष सदस्य,	05964	9810824165	223387	पितरौटा, पो0, तह0 व जिला पिथौरागढ़
04–	श्रीमती निर्मला पन्त,	प्रधान सहायक	05964	7351566631	223387	पूल्ड आवास कालौनी, मं0नं0–18,II टकाना, पिथौरागढ़
05–	श्री प्रकाशचन्द्र जुकरिया	वैयक्तिक अधिकारी	05964	9411367712	223387	निकट राजा होटल, टकाना खेत, पिथौरागढ़
06–	श्री देवेद्र सिह	कनिष्ठ सहायक	05964	9410181108	223387	तिलढुकरी, पो0, तह0 व जिला पिथौरागढ़

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।

:: अध्याय–11 (मैनुअल–10)::

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्धारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति।

2024–2025

11–1–कृपया जानकारी निम्न प्रारूप में दें:–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक मूल वेतन	परितोषिक / पारितोषक भत्ता / जी0पी0 / ए स0पी0	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1	श्री राजीव कुमार खरे, दि0 20–11–2024 से	अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)	–	–	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष प्रतितोष आयोग, उधमसिंह नगर में कार्यरत माननीय अध्यक्ष महोदय को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पिथौरागढ़ का उत्तराखण्ड शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादून की अधिसूचना संख्या–359, दिनांकित 19–05–2023 के अनुसार अतिरिक्त प्रभार है ।
2	श्रीमती डिगरी बाफिला, (दि0 11–08–2024 तक)	महिला सदस्या,	83,600 रू0	महंगाई भत्ता–41,800 रू0, एच0 डी0 ए0–540 मकान किराया–6,800 रू0, प्रतिमाह	शासनादेश संख्या–931 / दि0 02–12–2020 के अनुसार वेतन लेवल–12 के अनुसार मूल वेतन 83,600=00 रू0, महंगाई भत्ता–41,800 रू0, एच0 डी0 ए0–540=00 रू0, मकान किराया–6,800=00, प्रतिमाह उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य देय हैं ।
3	श्री रबिन्द्र सिंह (दि0 25–10–2024 से)	पुरूष सदस्य,	78,800 रू0	महंगाई भत्ता 41,764 रू0, एच0 डी0 ए0–540 रू0, मकान किराया–6,800 रू0, प्रतिमाह	शासनादेश संख्या–931 / दि0 02–12–2020 के अनुसार वेतन लेवल–12 के अनुसार मूल वेतन 78,800=00 रू0 महंगाई भत्ता–41,764=00 रू0, एच0 डी0 ए0–540=00 रू0, मकान किराया–6,800=00, प्रतिमाह उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम स्तर के वेतन तथा उस अधिकारी को अनुज्ञेय अन्य देय हैं ।
04	श्रीमती निर्मला पन्त	प्रधान सहायक	52,600 रू0	28,408 रू0 D.A./HIL	वेतन आयोग 2016 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारण ।
05	श्री प्रकाशचन्द्र जुकरिया	वैयक्तिक अधिकारी	70,000 रू0	37,100 रू0 D.A./HIL. H.R.A./S.P.	वेतन आयोग 2016 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारण ।
06	श्री देवेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	39,400 रू0	20,882 रू0 D.A./HIL. H.R.A./S.P.	वेतन आयोग 2016 में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारण।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)

सदस्य,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

पिथौरागढ़।

:: अध्याय—12(मैनुअल—11) ::

प्रत्येक अभिकरण की आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

12—1 संगठन के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना हो, निम्न प्रकार दें:—

वित्तीय वर्ष—2024—2025

क0 सं0	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय
1—	01—वेतन	—	ग्लोबल बजट	—	41,32,205=00
2—	03—महंगाई भत्ता	—	ग्लोबल बजट	—	18,04,025=00
3—	04—यात्रा व्यय	—	10,000=00	एक किश्त	—
4—	06—अन्य भत्ते	—	ग्लोबल बजट	—	3,24,330=00
5—	07—मानदेय	—	—	—	—
6—	20—लेखन सामाग्री की खरीद एवं फार्म छपाई	—	15,000=00	एक किश्त	14,580=00
7—	21—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	—	25,000=00	एक किश्त	23,500=00
8—	22—कार्यालय व्यय	—	30,000=00	एक किश्त	14,270=00
9—	23—किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	—	50,000=00	एक किश्त	24,884=00
9—	25—टेलीफोन पर व्यय	—	ग्लोबल बजट	—	23,873=00
11—	27—व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	—	10,000=00	एक किश्त	2,400=00
12—	30—आतिथ्य व्यय		6,000=00	एक किस्त	—
	कुल योग—	—	1,46,000=00	—	63,64,067=00

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)

सदस्य,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

पिथौरागढ़ ।

अध्याय–17(मैनुअल–16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण ।

17–1 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण–

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा दी गयी व्यवस्था का विवरण जैसेः–

1– सूचना पटल

2– अभिलेखों का निरीक्षण

3– दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था

4– अन्य प्रचार प्रसार के साधन– समाचार पत्रों, ई–जागृति उपभोक्ता दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी का अयोजन ।

26/05/2025

(रबिन्द्र सिंह)
सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
पिथौरागढ़ ।